अज अदालत लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
1. श्रीमति पोनी देवी पुत्री स्व. ओटाजी, पत्नि गणेशराम जाति मीणा निवासी जूना जोयला, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही 2. श्रीमती सोतीदेवी पुत्री स्व. ओटाजी, पत्नि कुपाराम जाति मीणा निवासी पोसालिया, हाल गोल तहसील व जिला सिरोही विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव		1.श्रीमती लीला पत्नि स्व. बाबाजी जाति मीणा, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज जिला सिरोही 2.सरपंच ग्राम पंचायत पोसालिया, तहसील शिवगंज , जिला सिरोही 3. तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

राजस्व अपील संख्यां–02/2021

— : निर्णय : — दिनांक 17.02.2023

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 575 दिनांक 25.10.1975 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम व स्थगन आदेश का विरूद्ध रेस्पोडेंटगण के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। विवादित आराजी मौजा पोसालिया के खसरा नम्बर 443, 444, 445, 446, 447, 448, 965/4, 1049/964, 1220/441, 1608/964 कुल किता दस कुल रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि जो अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या एक के ससुर स्व0 ओटा पुत्र सदाजी मेणा के नाम से जमाबंदी संवत् 2027–2030 के खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। स्व0 ओटा पुत्र सदाजी मेणा की मृत्यु के बाद नामांतरकरण सं0 575 दिनांक 25.10.1975 को रेस्पोडेन्ट सं. एक के पति बाबा पुत्र स्व. ओटा के नाम से खातेदारी में गलत दर्ज की गई। जबकि स्व. ओटा पुत्र सदाजी मेणा की मृत्यु के बाद उसके जायन्दा वारिसान अपीलान्ट सं. 1 लगाय 2 व अपीलान्ट की बहनें स्व. हंजा, स्व. पंकु व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का पति बाबा है। तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक पोसालिया व ग्राम पंचायत पोसालिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पति के साथ मिलकर बाले बाले गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति बाबा पुत्र स्व. ओटाजी के एकल के नाम से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 575 दिनांक 25.10.1975 के जरिये दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में बाबाजी पुत्र स्व. ओटाजी की मृत्यु होने से उनकी पत्नि रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, जिससे व्यथित होकर यह नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश की गई है।

अपीलांट के पिता व रेस्पोडेंट सं0 1 के ससुर स्व. ओटाजी मेणा की मृत्यु होने के पश्चात से लगातार उपरोक्त खातेदारी भूमि पर उनके विधिक वारिसान की हैसियत से अपीलांट व रेस्पोडेंट सं0 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते आ रहे है। तथा अपीलांट सं0 1 लगाय 2 अलग–अलग अपने पति के साथ ससुराल में निवास करती है। व मजदूरी करती है जो पढी लिखी नहीं है। जिसके अभाव में पूर्व में उक्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड से जानकारी नहीं ली। तथा वर्तमान में केसीसी हेतु अपीलांट सं0 1 लगाय 2 ने उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने हेतु पटवार हल्का पोसालिया के पटवारी से [illegible] एवं रेकर्ड का अवलोकन किया जिस पर पटवारी हल्का पोसालिया से अपीलांट को पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त खसरान की भूमि में निहित ओटा पुत्र सदाजी के [illegible] के नाम से दर्ज नहीं होकर अकेले रेस्पोडेंट के पति बाबा के नाम से दर्ज होने के बाद बाबा की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में रेस्पोडेंट सं0 1 के नाम पर खातेदारी में दर्ज होना बताया जिस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का पोसालिया व तहसीलदार कार्यालय शिवगंज से दिनांक क्रमशः 30.07.2021 को पुराने रिकॉर्ड व नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और उसके अवलोकन से जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से गलत रूप से नामान्तरकरण 575 दिनांक 25.10.1975 को स्वीकृत कर दिया गया है, जिसकी जानकारी होते ही उक्त अपील अपीलान्ट की तरफ से बिना किसी देरी के पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ता तीन के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। दिनांक 14.10.2021 को रेस्पोडेंट सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 08.06.2022 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपील का जवाब पेश किया। दिनांक 14.09.2022 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनके जवाब बंद किये गये। दिनांक 18.01.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक पोसालिया से वारिसान की सूचना मंगवाई गई, जो दिनांक 27.01.2023 को प्राप्त हुई व उसी दिन उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलाण्ट सं0 1 लगाय 2 अलग–अलग अपने पति के साथ ससुराल में निवास करती हैं, जो पढ़ी–लिखी नहीं है, जिसके अभाव में पूर्व में उक्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड से जानकारी नहीं ली तथा वर्तमान में केसीसी हेतु अपीलान्ट सं0 1 लगाय 2 ने उक्त कृषि भूमि की जमावंदी हेतु पटवारी हल्का पोसालिया से संपर्क किया जिस पर पटवारी हल्का पोसालिया से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त खसरान की भूमि में निहित ओटा पुत्र सदा जी मेणा का हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज न होकर अकेले रेस्पोडेंट सं0 1 के पति बाबा के नाम से दर्ज होने के बाद बाबा की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में रेस्पोंडेंट सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है। जिस पर तहसीलदार कार्यालय शिवगंज से दिनांक 30.07.2021 को पुराने रिकोर्ड व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की उसके अवलोकन से इन्हें प्रथम बार जानकारी हुई कि नामान्तरकरण में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया है, नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के उक्त अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की है।

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 575 आदेश दिनाक 25.10.1975 में बिना किसी जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 575 आदेश दिनांक 25.10.1975 को अपास्त किया जाता है। अतः प्रकरण तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि गुणावगुण के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर तीन माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(डॉ0 तरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

114
17/2/23

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested